संख्या- 33/2017/1972/बयालिस-2017-38(निर्माण)/2004

प्रेषक,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 06 अक्टूबर, 2017**

विषय :- जनपद गोरखपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थानाओं के विकास एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0-1050/नि0 गोरखपुर स्टे0/2017-18, दिनांक 22.09.2017 के सन्दर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद गोरखपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थानाओं के विकास एवं सुदृढीकरण कार्य के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 429.99 (रूपया चार करोड उन्तीस लाख निन्यान्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 214.00 लाख (रूपया दो करोड चौदह लाख मात्र) वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपया तीन करोड मात्र) में से अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 214.00 लाख (रूपया दो करोड चौदह लाख मात्र) की धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी । निदेशक, खेल निर्माण कराये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग करेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाये ।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) निदेशक, खेल द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त करने के पश्चात दूसरी किश्त अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19.10.2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

2- उक्त मद में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-62-स्पोर्टस स्टेडियम, गोरखपुर-6201-खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास/सुदृढीकरण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-681/दस-2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1972(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in